

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)-जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 35/2024
3. उनवान : 1. धर्मपाल पुत्र श्री जगन्नाथ
2. धीसा पुत्र नारायण

समस्त जाति कुम्हार (कुमावत) निवासी सिंगाठियों की
ढाणी जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर जिला
जयपुर।
2. कालूराम पुत्र पोखर
3. गीता देवी पत्नी बालूराम
4. तेजराज कुमावत पुत्र रामेश्वर कुमावत
5. ताराचन्द पुत्र छीतर
6. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
7. फूलचन्द पुत्र छीतर
8. बिरमाराम पुत्र पोखर
9. बोदू पुत्र काना
10. रामलाल पुत्र छीतर
11. रामेश्वर पुत्र भंवर लाल
12. सीताराम पुत्र पोखर
13. हेमराज पुत्र जगदीश प्रसाद

समस्त जाति कुम्हार (कुमावत) निवासी सिंगाठियों की
ढाणी जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
14. महादेव पुत्र भंवरलाल जाति कुमावत निवासी हरी
नगर सोडाला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 08/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द कुमावत अपीलांट की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री एन. एल. सैनी रेस्पोंडेन्ट संख्या 2
लगा. 14 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट व
रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी मुमि सराय नम्बर 983/332 रकबा 42692 हैक्टेशर बाके ग्राम
बदेरवाली की ढाणी तहसील जोबनेर जिला जयपुर को आपसी सहमति के आधार पर
विभाजन हेतु आवंटन तहसीलदार जोबनेर को प्रस्तुत किया। पटवारी हल्का तथा

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 19/1/2023 को बंटवारानामा निष्पादित कर दिया। परन्तु बंटवार के समय जो रिकॉर्ड में तरमीम की गई वो जमाबन्दी में दर्ज रकबे के विपरीत होती व बड़ी कर दी। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 20/12/2023 को भू-अभिलेख से नक्शा प्राप्त करने पर हुई। तत्पश्चात अपीलान्त ने नक्शे में हुई गलती को दुरुस्त करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 02/2024 उक्तवानी धर्मपाल व अन्य बनाम राज० सरकार व अन्य प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28/6/2024 को अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 136 की परिधि से बाहर होना मानते हुये खारिज कर दिया। अपीलान्त को उक्त की दिनांक 16/8/2024 को नकल प्राप्त होने पर अन्दर भिदाद अपील पेश की गई। जो तरमीम की गई है उस पर गलत रूप से जमाबन्दी में दर्ज रकबे के विपरीत तरमीम कर दी। ऐसी स्थिति में मौके पर तो जमीन पूरी है एवं नक्शे में जमीन पूरी नहीं हो रही है। नक्शे में तरमीम रकबे अनुसार नहीं की गई तथा अपीलान्त व रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त भूमि में आपसी सहमति से मुख्य रैनवाल रोड से भूमि के अन्दर पहुंचने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया गया था जिसे भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से 15 फीट का कायम कर गलत तरमीम कर दिया गया। जिससे अपीलान्त की खातेदारी की भूमि का नक्शा व जमाबन्दी में भिन्नता उत्पन्न हो गई, जो कि विभाजन पत्र के पूर्णतः विपरीत हैं। जो विभाजन किया गया है उसमें समस्त पक्षकारों को जमाबन्दी में जितना रकबा दिया गया है एवं रास्ते हेतु जो रकबा छोड़ा गया है, उसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जानी अपेक्षित थी। पक्षकार अपनी अपनी सहमति के आधार पर मौके पर काबिज हो गये है व उनके द्वारा मौके पर सीमाचिन्ह स्थापित कर लिये थे।

अन्त में अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर, तहसील जोबनेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 19/1/2023 को निरस्त फरमाया जाकर जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं मौके अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार जोबनेर को आदेशित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्त ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 भिदाद अधिनियम में अंकित किया है कि अपीलान्त को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 20/12/2023 को भू-अभिलेख से नक्शा प्राप्त करने पर हुई। तत्पश्चात अपीलान्त ने बंटवारानामे व अन्य दरखावतों की नकले प्राप्त कर नक्शे में हुई गलती को दुरुस्त करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 का पेश किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28/6/2024 को अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 136 की परिधि से बाहर होना मानते हुये खारिज कर दिया। जिसकी नकल तैयार की जाकर दिनांक 16/8/2024 को प्राप्त हुई। जानकारी की तिथि से अपील अन्दर भिदाद प्रस्तुत है। अन्त में अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब माफ किया जाकर जानकारी की तिथि से अपील को अन्तर् भिदाद शुमार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील के संलग्न अपीलान्त ने अपीलाधीन आदेश की तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के आदेश दिनांक 28/06/2024 को प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज अभिलेख की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगाव 14 की ओर से अधिवक्ता श्री एन० एल० सेनी उपस्थित हुए।

रेस्पोजेन्ट संख्या 2 लगा0 14 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि अपीलान्त द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सही तथ्यों पर पेश किया था, जो कि स्वीकार करने योग्य था। अपील में वर्णित आराजी की तरमीम दुरस्त होने से सभी काश्तकारों को अपनी आराजी को सही जगह विकसित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने आदेश दिनांक 20.06.2024 में माना है कि तरमीम की त्रुटि पटवारी द्वारा ही हुई है जो कि धारा 136 एल.आर.एक्ट में दुरस्ती योग्य थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त का प्रार्थना पत्र गलत आधार पर खारिज किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति से अपील में वर्णित भूमि की तरमीम व तकासमा के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था अपितु तत्पश्चात तरमीम में हुई त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के प्रार्थना पत्र को गलत आधारों पर खारिज किया है इसलिए अपील स्वीकार योग्य है। अन्त में अपीलान्त की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

तत्पश्चात अपील में अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलान्त व रेस्पोजेण्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 983/332 रकबा 4.2692 हैक्टेयर वाके ग्राम बबेरवालों की ढाणी बाबत तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 19/1/2023 को बंटवारानामा निष्पादित कर दिया। परन्तु बंटवारे के समय रिकॉर्ड में गलत तरमीम की गई, जिसकी दुरुस्ती हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28/6/2024 को अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 136 की परिधि से बाहर होना मानते हुये खारिज कर दिया। उक्त तरमीम अनुसार मौके पर तो जमीन पूरी है एवं नक्शे में जमीन पूरी नहीं हो रही हैं। नक्शे में तरमीम रकबे अनुसार नहीं की गई तथा अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट द्वारा उक्त भूमि में आपसी सहमति से मुख्य रेनवाल रोड से भूमि के अन्दर पहुंचने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया गया था जिसे भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से 15 फीट का कायम कर गलत तरमीम कर दिया गया। जिससे अपीलान्त की खातेदारी की भूमि का नक्शा व जमाबन्दी में भिन्नता उत्पन्न हो गई। जो विभाजन किया गया है उसमें समस्त पक्षकारों को जमाबन्दी में जितना रकबा दिया गया है एवं रास्ते हेतु जो रकबा छोड़ा गया है, उसी अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं की गई। पक्षकार अपनी अपनी सहमति के आधार पर मौके पर काबिज हो गये है व उनके द्वारा मौके पर सीमाचिन्ह स्थापित कर लिये थे। अतः तहसीलदार जोबनेर का निर्णय दिनांक 19/1/2023 को निरस्त फरमाया जाकर जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं मौके अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार जोबनेर को आदेशित किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2 लगा0 14 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्त द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 सही तथ्यों पर पेश किया था। अपील में वर्णित आराजी की तरमीम दुरस्त होने से सभी काश्तकारों को अपनी आराजी को सही जगह विकसित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने आदेश दिनांक 20.06.2024 में माना है कि तरमीम की त्रुटि पटवारी द्वारा ही हुई है जो कि धारा 136 एल.आर.एक्ट में दुरस्ती योग्य थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त का प्रार्थना पत्र गलत आधार पर खारिज किया गया

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति से अपील में वर्णित भूमि की तरमीम व तकासमा के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था अपितु तत्पश्चात तरमीम में हुई त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के प्रार्थना पत्र को गलत आधारों पर खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील तहसीलदार जोबनेर के तरमीम आदेश दिनांक 19/01/2023 के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा तथ्य दिया गया कि बंटवारे के समय जो रिकॉर्ड में तरमीम की गई वो जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार नहीं की गई। मौके पर तो जमीन पूरी है एवं नक्शे में जमीन पूरी नहीं हो रही हैं। मुख्य रेनवाल रोड से भूमि के अन्दर पहुंचने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया गया था जिसे सहवन से 15 फीट का कायम कर गलत तरमीम कर दिया गया। जिससे अपीलान्त की खातेदारी की भूमि का नक्शा व जमाबन्दी में भिन्नता उत्पन्न हो गई। उक्त कथन का खण्डन रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में भी नहीं किया गया है। वृत्ति उक्त बंटवारानामा उभयपक्षकारान की सहमति से हुआ है तथा उभयपक्ष अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलाधीन तरमीम में लिपिकीय त्रुटि होना कारित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान की आपसी सहमति से हुए विभाजन के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो।



207
(कुन्तल विशनोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर